# राज्यपाल सचिवालय
# राजभवन,जयपुर

क्रमांकः प.19(1)राभ/स्टोर/2019/6255 दिनांकः26 नवम्बर 2021

**सीमित बोली आमंत्रण सूचना**

राजभवन जयपुर में ड्राईक्लीनिंग कार्य (सूची अनुसार) हेतु अनुभवी एजेंसियों (फर्मो) से सीमित बोली आमंत्रित की जाती हैं।

| क्र. सं. | कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित राशि रूपये | बोली प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय | बोली खोलने की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राजभवन जयपुर में ड्राईक्लीनिंग कार्य अनुलग्नक "क" के अनुसार | 1.99 लाख समस्त कर सहित | 02.12.2021 01.00 बजे तक | 02.12.2021 03.00 बजे तक |

1. बोली आमंत्रण की सूचना मय बोली दस्तावेज विभागीय वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है एवं डाउनलोड भी कर सकते है।
2. बोली प्रपत्र स्टोर अनुभाग राजभवन से कार्यालय समय में दिनांक 26.11.2021 से दिनांक 02.12.2021 तक प्रातः11:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. सीमित बोली दिनांक 02.12.2021 दोपहर 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 03.00 बजे राजभवन, में उपस्थित बोलीदाता/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।
4. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।

कन्ट्रोलर
राज्यपाल हाऊसहोल्ड
राजभवन,जयपुर

क्रमांकः प.19(1)राभ/स्टोर/2019/6256 दिनांक26 नवम्बर 2021

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन जयपुर।
2 प्रभारी अधिकारी IT, राज्यपाल सचिवालय, को राजभवन की वेबसाईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड ,कार्यालय राजभवन जयपुर।
4 रक्षित पत्रावली।

कन्ट्रोलर
राज्यपाल हाऊसहोल्ड
राजभवन,जयपुर

# राज्यपाल सचिवालय
# राजभवन,जयपुर

सचिव,
राज्यपाल राजस्थान
राजभवन जयपुर

**विषयः—राजभवन जयपुर में ड्राईक्लीनिंग कार्य हेतु सीमित बोली।**

1. बोली/संवेदक का नाम ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. डाक का पता.................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. फोन/मोबाईल नं.........................................................................................................
4. ई मेल.........................................................................................................................
5. बैंक का नाम व पता.....................................................................................................
IFSC Code......................................................................................................................
खाता संख्या .....................................................................................................................

6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी:—

| क्र. सं. | पंजीकरण का विवरण | रजिस्ट्रेशन संख्या | पंजीकरण वर्ष दिनांक | संलग्नक क्रमांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | माल एवं सेवाकर (GST) | | | |
| 2 | आयकर स्थाई खाता सं. (PAN) की प्रति | | | |
| 3 | Shop Act के अधीन दुकान का रजिस्ट्रेशन | | | |
| 4 | गत दो वर्षो में कार्य के व्यवसाय का स्व प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र | | | |

7. ड्राईक्लीन कार्य हेतु दरें सलंग्न प्रारूप **अनुलग्नक "क"** के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
8. सचिव, राज्यपाल राजस्थान द्वारा जारी की गयी सीमित बोली में वर्णित सभी शर्तों से बाध्यता स्वीकार की जाती है।
9. बोलीदाता/संवेदक की अपनी अलग से कोई शर्तें मान्य नहीं होगी।
10. सीमित बोली दिनांक 02.12.2021 दोपहर 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी तथा उसी दिन दोपहर पश्चात 03.00 बजे राजभवन, में उपस्थित बोलीदाता/संवेदकों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जावेगी।
11. सीमित बोली मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी जिस पर **"ड्राईक्लीनिंग कार्य हेतु सीमित बोली"** अंकित किया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

**कन्ट्रोलर** | **वरि.लेखाधिकारी** | **उप सचिव II**

# राज्यपाल सचिवालय
# राजभवन, जयपुर

## बोली की शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन के पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 जिसे आगे 'अधिनियम' एवं 'नियम' कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इससे संबंधित वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे। बोलीदाता को 'नियम' एवं 'अधिनियम' की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिये। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त 'अधिनियम''नियम' में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त 'अधिनियम' एवं 'नियम' के प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
2. राजभवन जयपुर में ड्राईक्लीनिंग कार्य (अनुलग्नक "क" अनुसार) करवाया जावेगा।
3. कार्य की अनुमानित मूल्य राशि रूपए 1.99 लाख है।
4. बोली दिनांक 02.12.2021 को दोपहर 01.00 बजे तक मोहर बन्द लिफाफे मे राज्यपाल सचिवालय में प्रस्तुत करनी होगी।
5. प्राप्त बोली दिनांक 02.12.2021 को अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष गठित समिति द्वारा खोली जावेगी।
6. बोलीदाताओं को अपनी दरे संलग्न अनुलग्न"क" में प्रस्तुत करनी होगी।
7. बोलीदाता के द्वारा ड्राईक्लीनिंग कार्य में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जावेगी। यदि कार्य में गुणवत्ता नहीं पाई जाती है तो फर्म को कोई भुगतान देय नहीं होगा साथ ही कपडों के नुकसान का हर्जाना फर्म से वसूला जावेगा।
8. राजभवन जयपुर में ड्राईक्लीनिंग कार्य की दरें एफ.ओ.आर. राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर होगी तथा अग्रिम भुगतान की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
9. बोलीदाता लिफाफे पर "ड्राईक्लीनिंग कार्य हेतु सीमित बोली" अवश्य अंकित करेगा।
10. बोलीदाता को अपने कार्यालय/निवास के दूरभाष नम्बर बोली मे देने होंगे, ताकि अति आवश्यक परिस्थितियों में दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
11. बोली की दरों में कांट-छांट नही की जावे।
12. बोली दरे पैन से भरी होनी चाहिये,पैंसिल से भरी गयी बोली को रद्द कर दिया जावेगा।
13. बोलीफार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर किये जावे।
14. आदेशित कार्य आदेश दिनांक से 3 दिवस में पूर्ण करना होगा। विलम्ब की स्थिति में नियमानुसार पेनल्टी लगाई जा सकेगी।
15. बोली स्वीकृति एवं अस्वीकृति के सम्बन्ध में सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
16. सफल बोलीदाता को कार्यादेश में निर्देशानुसार निर्धारित अवधि के भीतर रूपए 500/- के स्टाम्प पेपर पर संलग्न नमूना करार-पत्र के अनुसार अनुबंध सम्पादित करना होगा।
17. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर ड्राईक्लीन कार्य की कीमत कोट कर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन ड्राईक्लीन कार्य का कीतम कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगा और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
18. ड्राईक्लीनिंग कार्य की संख्या/मात्रा में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या/मात्रा की गारण्टी नहीं दी जावेगी एवं उपाप्त संख्या/मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। ड्राईक्लीन कार्य की संख्या/मात्रा में वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त,निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी।
19. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नही सौंपेगा या भाडे (Sub-lct) पर नहीं देगा।
20. अनुमोदित की गयी दर संविदा की कालावधि अनुबंध दिनांक से एक वर्ष की होगी।
21. मूल्यांकन की कसौटी बोली में सफल बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर बोली का मुल्यांकन किया जावेगा।
22. बोलीदाता की अलग से कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

कन्ट्रोलर | वरि.लेखाधिकारी | उप सचिव II

अनुलग्नक "क"

# राज्यपाल सचिवालय
# राजभवन, जयपुर

## ड्राईक्लिनिंग सम्बन्धित कार्य की सूची

| क्र.सं | आईटम्स का विवरण | | प्रस्तावित दरें |
|---|---|---|---|
| 1 | सूट (कोट, पेन्ट) | प्रति सूट | |
| 2 | कोट | प्रतिनग | |
| 3 | पेन्ट | प्रतिनग | |
| 4 | शर्ट | प्रतिनग | |
| 5 | सफारी सूट (पेन्ट–शर्ट) | प्रति सूट | |
| 6 | साड़ी (सिफॉन, सिल्क, जॉरजट, पॉलिस्टर) | प्रतिनग | |
| 7 | साड़ी (जरी) | प्रतिनग | |
| 8 | साड़ी चरक | प्रतिनग | |
| 9 | जे. जाकिट | प्रतिनग | |
| 10 | जर्किन | प्रतिनग | |
| 11 | कुर्ता | प्रतिनग | |
| 12 | पायजामा | प्रतिनग | |
| 13 | बनियान ठण्डा | प्रतिनग | |
| 14 | बनियान गर्म | प्रतिनग | |
| 15 | स्वेटर (जेन्टस हॉफ) | प्रतिनग | |
| 16 | स्वेटर (जेन्टस फुल स्लीवज) | प्रतिनग | |
| 17 | कार्डिगन (लेडिज स्वेटर) | प्रतिनग | |
| 18 | शॉल गर्म | प्रतिनग | |
| 19 | लेडिज सूट (4 पीस) | प्रति सेट | |
| 20 | चुन्नी सेट (लंहगा आदि) | प्रति सेट | |
| 21 | ओढनी (सिफॉन, सिल्क, जॉरजट, पॉलिस्टर) | प्रतिनग | |
| 22 | लोई (काम्बली) | प्रतिनग | |
| 23 | डबल बेड कवर (सिल्क) | प्रतिनग | |
| 24 | डबल बेड कवर (पॉलिस्टर) | प्रतिनग | |
| 25 | सिंगल बेड कवर (सिल्क) | प्रतिनग | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | सिंगल बेड कवर (पॉलिस्टर) | प्रतिनग | |
| 27 | रजाई वेलवेट (डबल बेड ) | प्रतिनग | |
| 28 | रजाई कोटन (डबल बेड ) | प्रतिनग | |
| 29 | रजाई कोटन ( सिंगल बेड ) | प्रतिनग | |
| 30 | रजाई वेलवेट (सिंगल बेड) | प्रतिनग | |
| 31 | कम्बल ऊनी (सिंगल बेड) | प्रतिनग | |
| 32 | कम्बल ऊनी (डबल बेड) | प्रतिनग | |
| 33 | कुशन कवर | प्रतिनग | |
| 34 | गाऊन | प्रतिनग | |
| 35 | जाली पर्दा सिंगल (साईज 48" x 3 Mt.) | प्रतिनग | |
| 36 | जाली पर्दा डबल पार्ट (साईज 96" x 3 Mt.) | प्रतिनग | |
| 37 | पर्दे मय अस्तर डबल पार्ट<br>(साईज 48" x 3 Mt.) (सिल्क, पॉलिस्टर व टेरीकोट) | प्रतिनग | |
| 38 | पर्दे मय अस्तर सिंगल पार्ट<br>(साईज 48" x 4 Mt.) (सिल्क, पॉलिस्टर व टेरीकोट) | प्रतिनग | |
| 39 | पर्दे मय अस्तर विण्डो<br>(साईज 48" x 1.5 Mt.)(सिल्क, पॉलिस्टर व टेरीकोट) | प्रतिनग | |
| 40 | पर्दे मय अस्तर डोर<br>(साईज 48" x 2.5 Mt.) (सिल्क, पॉलिस्टर व टेरीकोट) | प्रतिनग | |
| 41 | पर्दे बिना अस्तर डबल पार्ट<br>(साईज 48" x 3Mt.) (सिल्क,पॉलिस्टर व टेरीकोट) | प्रतिनग | |
| 42 | पर्दे बिना अस्तर सिंगल पार्ट<br>(साईज 48" x 2.5 Mt.) (सिल्क, पॉलिस्टर व टेरीकोट) | प्रतिनग | |
| 43 | पिलो कवर | प्रतिनग | |
| 44 | बाथ टावल | प्रतिनग | |
| 45 | फेस टावल | प्रतिनग | |
| 46 | मिडियम टावल | प्रतिनग | |
| 47 | बाथमेट | प्रतिनग | |
| 48 | चद्दर सिंगल बैड | प्रतिनग | |
| 49 | चद्दर डबल बैड | प्रतिनग | |
| 50 | टेबिल कवर | प्रतिनग | |
| 51 | नेपकिन | प्रतिनग | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | पार्टी टेबल चद्दर छोटी 5 मीटर | प्रतिनग | |
| 53 | पार्टी टेबल चद्दर छोटी 9 मीटर | प्रतिनग | |
| 54 | ब्लाउज | प्रतिनग | |
| 55 | सलवार सूट | प्रतिसूट | |
| 56 | फ्रील टेबल | प्रतिनग | |
| 57 | धोती मर्दानी | प्रतिनग | |
| 58 | मफलर | प्रतिनग | |
| 59 | ड्राईक्लीनिंग कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) पेंट–शर्ट | प्रतिसूट | |
| 60 | ड्राईक्लीनिंग कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) शेरवानी मय अचकन | प्रतिसूट | |
| 61 | ड्राईक्लीनिंग कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) सूट | प्रतिसूट | |
| 62 | ड्राईक्लीनिंग कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) साड़ी | प्रतिनग | |
| 63 | ड्राईक्लीनिंग कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) सलवार–सूट | प्रतिसूट | |
| 64 | स्टीम प्रेस कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) पेंट–शर्ट | प्रतिसूट | |
| 65 | स्टीम प्रेस कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) शेरवानी मय अचकन | प्रतिसूट | |
| 66 | स्टीम प्रेस कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) सूट | प्रतिसूट | |
| 67 | स्टीम प्रेस कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) साड़ी | प्रतिनग | |
| 68 | स्टीम प्रेस कीमती कपड़ों के (पार्टीवियर) सलवार–सूट | प्रतिसेट | |
| 69 | सोफा कवर सेट | प्रतिसेट | |
| 70 | सोफा/सोफा चेयर (शैम्पू वैक्यूम) | प्रतिनग | |
| 71 | सोफा सेट 3 एवं 5 सीटर (शैम्पू वैक्यूम) | प्रतिसेट | |
| 72 | अपहोस्टर्ड चेयर सीट एवं बैक ( ड्राई शैम्पू वैक्यूम) | प्रति सीट | |
| 73 | कारपेट (ड्राई शैम्पू वैक्यूम) | प्रति स्क.फि. | |
| 74 | दरी सिंगल एवं मल्टीकलर (Both Side) (ड्राई शैम्पू वैक्यूम) | प्रतिनग | |
| 75 | कार सीट कवर | प्रतिनग | |
| 76 | पर्दे कार (विण्डो) 6 सेट | प्रतिनग | |

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

कन्ट्रोलर वरि.लेखाधिकारी उप सचिव II

# राज्यपाल सचिवालय
# राजभवन, जयपुर
## नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक ....................माह................सन् 2021 को एक पक्ष के ...................(जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया ।

2. अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के.............को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम संलग्नमें दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

   (i) अनुमोदित प्रदायकर्ता ने राशि रूपये ............................की राशि ....................................

      1. "ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा"
      2. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;

   (ii) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

   (ii) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगीं।

   (ii) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

3. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:-

   (1.) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर......................के मार्फत सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता..............और उसके आदेश में तथा बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।

   (2.) बोली सूचना संख्या..................दिनांक..............से संलग्न सीमित बोली हेतु बोली एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

   (3.) बोलीदाता से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक............तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या............... भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।

   (4.) (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार. ...........के माध्यम से अनुमादित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

   (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से---------की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण है:-

   i. बैंक का नाम एवं पता :-..........................................................................................................
   ii. बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो):-..................................................
   iii. बैंक खाता संख्या :-....................................................................................................................
   iv. बैंक IFSC कोड नं :- ........................................................................................................

5. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि कें भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगीः—

| कम संख्या | मदों की मात्रा | सुपुर्दगी अवधि |
|---|---|---|
| | | तीन दिवस |

6. (1) यदि शास्ति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः—

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 %
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5 %
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5 %
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10 %

**टिप्पणीः** (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।

(ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 % होगी।

(iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदा अन्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

(2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमाजित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

8. अनुबन्ध की अवधि आदेश जारी दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा आपसी सहमति अनुसार से उक्त अवधि को बढाया भी जा सकता है, परन्तु कार्य की प्रकृति के अनुसार सम्पूर्ण कार्य सम्पादित होने के पश्चात एक वर्ष पूर्व भी अनुबंध समाप्त कर कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि लौटाई जा सकेगी।

इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज दिनांक .............सन् 2021 को अपने हस्ताक्षर किए।

| राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर /पदनाम | अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर |
|---|---|
| | |

कन्ट्रोलर        वरि.लेखाधिकारी        उप सचिव II